आइए, किसान की पूर्ण कर्ज़मुक्ति और उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एकजुट हों।[1]

पृष्ठभूमि

भारत में किसान संघ कृषि से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर और शक्तिशाली राजनीतिक लॉबी में बहुत सक्रिय होने के बावज़ूद भी अभी तक अपनी मांगों को कानूनी पात्रता नहीं दिला पाए है। इसके विपरीत किसान आंदोलन ने भूमि सुधार और काश्तकारी कानून अथवा जन आन्दोलनों ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आश्वस्त ग्रामीण रोजगार का अधिकार प्राप्त किया है। महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन कानूनी नियमों के लिए जो कि हमारे समाज में महिला को अलग-अलग क्षेत्रों में मिला है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है। इस भूमिका के प्रतिकूल ये वास्तव में हैरानी की बात है कि किसान आंदोलन अपनी लंबी समय की मांगों के लिए अधिनियम नहीं ला पाया है। ये सिर्फ पिछले एक वर्ष से ही देशभर में एक गंभीर आंदोलन की शुरुआत हुई दो कानूनों को लेकर जो कि कर्ज़ से मुक्ति और आश्वस्त लाभकारी मूल्य है। यह शुरुआत राष्ट्रीय किसान संघ मंच जिसको अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) कहा जाता है से हुई है।

समस्या का विवरण

1. भारत में किसान को अक्सर उनकी कृषि उपज का उत्पादन लगत से कम मूल्य मिलता है। यह बात किसानों के अपने उत्पादन आंकलन, कृषि विश्विदयालों की गणना और यहाँ तक के सरकारी तौर पर स्वीकृत उत्पादन लागत जो कि कृषि लगत एवं मूल्य आयोग मूल्य अनुग्रह के लिए इस्तेमाल करता है से स्पष्ट है। इसका मतलब है किसानों के पास अपने घर के खर्चों के लिए या उद्यम वृद्धि में निवेश करने के लिए कोई मुनाफ़ा नहीं बचता है। यह एक सीधा और निकटवर्ती कारन है, किसानों की कम आय का, उनके सामाजिक रुतबे के आभाव का और खेती में उनकी घटती हुई दिलचस्पी के लिए। खेती उपज के कम मूल्य के अनेक और जटिल कारन है, इसमें यह भी एक तथ्य है कि भूमंडलीकृत दुनिया जो कि उदार व्यापार की नीति से चल रही है और उसमे हमारे किसानों को भारी सब्सिडी वाले आयातित सस्ते पैदावार की बराबरी करनी पड़ रही है।

2. फसलों का कम मूल्य जो किसानों है और रासायनित , निगमित बाहरी निवेश का कृषि मॉडल जिसमें किसान फंसे है, वो भी जलवायु परिवर्तन के समय में, किसानों को गहरे कर्ज़ की तरफ धकेलता है। यह ऋण जो कि साहूकारों की तरफ से किसानो पर बकाया ऋण अदा करने का निरंतर दबाव बनाता है, इसमें संस्थागत ऋण भी आता है, देशभर में लाखों किसानों की आत्महत्याओं का कारण है। जबकि दूसरे क्षेत्रों और औपचारिक उपक्रमों में,

---

[1] यह विचार- विमर्श पत्र अलायन्स फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA) से कविता कुरुगंटी द्वारा चौथे किसान स्वराज सम्मलेन अहमदाबाद, 2-4 नवंबर, 2018 के लिए तैयार किया गया है। कोई भी टिप्पणी या सुझाव kavitakuruganti@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

व्यवसायी के ऊपर सीमित दायित्व की संकल्पना है, पर किसानों की स्थिति में ऐसी कोई धारणा मौजूद या लागू नहीं होती है। किसी भी स्थिति में हमारे छोटे किसान संस्थागत ऋण या फसल बीमा से बहार ही रहते है। यह किसानो को गहरे क़र्ज़ के जाल में फसाएँ रखता है।

ऊपर दी गयी दोनों परिस्थितियों में सीमांत और छोटे किसान और उनके साथ किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों की हालत सबसे खराब है। असल में किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को पैसे की ज्यादा जरूरत है।

इस संदर्भ में 200 किसान संस्थाओं का एक मंच जिसको अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) कहा जाता है ने 2 प्रालेख कानून तैयार किये है जो के अभी निजी सदस्य बिल के रूप में संसद में प्रस्तुत किये गए है।

प्रस्ताव

दो व्यापक कानून जो किसानों के कानूनी अधिकारों का विचार- विमर्श करके सरकार द्वारा लागू कराए जाएं निम्नलिखित बातों पर केंद्रित है: 1 क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति 2 लागत का उचित तथा लाभकारी मूल्य। इन दोनों कानूनों को कृषि संकट को सम्बोधित करने के परस्पर तत्कालित क़दमों की देखना चाहिए। इन दोने कानूनों की विषेशताएं निम्नलिखित है:

किसानों की क़र्ज़ से मुक्ति बिल, 2018

- किसानो की प्रशस्त परिभाषा जिसमे खेतिहर मज़दूर, महिला किसान और दुसरे जो भूमि मालिक है और नहीं है सभी आते हो.
- सभी असल खेतिहर किसानों की परिगणना और पंजीकरण से हर किसान को संस्थागत लोन प्रपात करने का अधिकार।
- वैधानिक संस्थागत प्रावधान राष्ट्रीय किसान संकट एवं आपदा आयोग तथा राज्य किसान संकट एवं आपदा आयोग स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य संकट में फसे किसानों को रहत मुहैया कराना है तांकि अलग अलग करने से होने वाले तनाव की वजह से किसान और ज्यादा क़र्ज़ संग्रह न करे और आत्महत्याओं को टाला जा सके ।
- आयोग को "संकट ग्रस्त इलाकों" तथा "संकट ग्रस्त फसलों" की अधिसूचना को सक्रिय अनुग्रह करने का अधिकार देना अथवा ऐसे संकट ग्रस्त किसानों को राहत पहुँचाने का आदेश देना।

- संकट प्रभावित किसानों की क़र्ज़ मुक्ति के विभिन्न विकल्पों का आह्वान परिस्थिति के आधार पर आयोग द्वारा किया जाये जिसमे ब्याज मुक्त पुनर्निर्धारित,ब्याज छूट पत्र और आधा/पूरा कर्जा ख़ारिज करना शामिल हो ।
- संकट प्रभावित किसानों के खिलाफ कार्यवाही पे रोक लगानी और आदेश देना।
- उधर के मानदंडों में प्राथमिक सुधर और सुनिश्चित अनुपालन।
- प्रभावी आपदा राहत अथवा फसल बीमा।
- कम लागत इकोलॉजिकल कृषि को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल सभी किसानो को एक समय तत्काल और पूरा क़र्ज़ छूट पत्र दे देता है तांकि वे अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से कर सके यह किसान संस्थाओं की स्पष्ट अपूर्ण मांग रही है। ऐसे क़र्ज़ पर छूट में निजी क़र्ज़ भी शामिल होना चाहिए जिससे उन किसानों के लिए युक्ति निकली जा सकती है जो निरंतर क़र्ज़ चूका पा रहे है। यह सभी पहलु अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) के बिल में संबोधित किये गए है।

किसानों का अधिकार आश्वस्त लाभकारी न्युनतम समर्थन मूल्य बिल, 2018

- यह अधिनियम हरेक किसान को सभी खेतीबाड़ी जिंसों पर आश्वस्त लाभकारी न्युनतम समर्थन मूल्य का अधिकार प्रदान करता है। यह सिर्फ घोषित किये गए ज्यादा न्युनतम समर्थन मूल्य के बारे में नहीं है बल्कि लाभकारी मूल्य जो किसानों द्वारा तय किया गया है उसके बारे में है।

- यह अधिनियम सारणी के विस्तृत घटकों और न्युनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो कि ऊपज मूल्य का कम से कम 50% ज्यादा है उत्पादन मूल्य के व्यापक अनुमान के लिए कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है, इसके साथ ही राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस के बारे में सूचित कर राज्य सरकारों को सशक्त बनाता है।

- केंद्रीय किसान कृषि लागत एवं आश्वस्त लाभकारी मूल्य आयोग, केंद्रीय स्तर की संस्थागत युक्ति है, जबकि राज्य किसान कृषि लागत एवं आश्वस्त लाभकारी मूल्य आयोग राज्य के स्टार पर स्थापित होंगे।

- यह बिल आश्वस्त लाभकारी न्युनतम समर्थन मूल्य (GRMSP) के लागू के लिए विशेष रूप से अनेक युक्तियाँ बताता है, जिसमें बाज़ार के नियम, वसूली के नियम, बाज़ार का हस्तक्षेप, आयात के नियम, गलत बिक्री को रोकना, किसान उत्पादन संस्थाओं में निवेश और उत्पादक सामग्री को काम करना।

- अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) कानून में जवाबदेही प्रावधान नामाकिंत अधिसूचित सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से रखा है। इस बिल के खंड यह सुनिश्चित करते है कि कानून के सभी फायदे किसानों को मिलें।

- बजार कानून के असफलता से जुड़े मापदंडों के प्रावधानों के अलावा और यहाँ तक कि प्रभावी एवं समय पर वसूली को लेकर इस बिल में कष्ट निवारण और मुआवजा क्रियाविधि है।

- यह बिल केंद्रीय तथा राज्य सरकार को किसानों के अधिकारों के लिए अलग से पर्याप्त कोष रखने के लिए बाध्य करती है।

प्रस्तुत किये गए बिलों की पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है:
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/539%20as.pdf
http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/533%20as.pdf

आगे का रास्ता

अलायन्स फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA), अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) का एक अंशभूत है और ASHA के 2 राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) के राष्ट्रीय कार्यकारी समूह के सदस्य भी है। AIKSCC संसद में ये 2 बिल पारित करने के लिए किसान मुक्ति मार्च का आयोजन कर रहा है। 28 एवं 29 नवंबर को हज़ारों किसान दिल्ली आने वाले है संसद गली में 30 नवंबर को मिलेंगे। यह उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए निमंत्रण है जो किसानों का भला चाहते है।

हमें विश्वास है कि ये विधान राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष के साथ साथ अपने उचित रूप से संशोधन संस्करण में राज्य स्तर पर भी रखा जाएगा।
[2]

[2] यह विचार- विमर्श पत्र अलायन्स फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (ASHA) से कविता कुरुगंटी द्वारा चौथे किसान स्वराज सम्मलेन अहमदाबाद, 2-4 नवंबर, 2018 के लिए तैयार किया गया है। कोई भी टिप्पणी या सुझाव kavitakuruganti@gmail.com पर भेजा जा सकता है।